ANNEXURE-5

(33)

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1361 (B) /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 29/5/15

कार्यालय आदेश

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों एवं स्थानों को जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत इकाई स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति प्रदाय की जाती है । उद्योगों को बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्थापना सम्मति की वैद्यता 5 वर्ष रखी गई है । यदि इकाई द्वारा उपरोक्त समयावधि में किसी कारण से इकाई की स्थापना नहीं की जा पाई है और वे इसमें वृद्धि हेतु आवेदन करते हैं तो उपरोक्त आवेदन पावती को आगामी 5 वर्ष के रूप में स्वतः ही नवीनीकृत माना जावेगा ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक 1361 (B) /स्था/प्रनिबो/2015 भोपाल, दिनांक 29/5/15

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर Ease of doing business के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

5 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ । कृपया तद्नुसार आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले उद्योगों/स्थानीय संस्थाओं को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें ।

6 आईटी प्रभारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।

7 गार्ड फाईल ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव